इन नौ सालों का हिसाब कौन देगा?

लखनऊ। बैंक कर्मियों की एक छोटी सी गलती के चलते एक बेकसूर डॉक्टर को नौ साल कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। चेक गुम हो जाने की सूचना बैंक व थाने में देने के बावजूद एक व्यक्ति ने उन्हीं के खिलाफ चेक के बाउंस होने का मुकदमा दर्ज करा दिया। यह जानकारी उन्हें कोर्ट से जारी हुए सम्मन से मिली। इसके बाद खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वह नौ साल कोर्ट के चक्कर लगाते रहे। आखिरकार कोर्ट ने पाया कि चेक बाउंस होने का आरोप लगाने वाले वादी के पास इसका कोई सुबूत नहीं है कि यह चेक उसे किस बात के लिए जारी किया था। इसके बाद ए.सी.जे.एम. भूपेंद्र राय ने डॉक्टर को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। अब प्रश्न है इन नौ सालों के टार्चर का हिसाब कौन देगा? मामले के अनुसार डॉ. राजेश सिंह तीन मई २००३ को किसी काम से गोमती नगर गए थे। जहां उनके द्वारा साइन किए हुए दो चेक कहीं गुम हो गए। डॉ. राजेश ने चेक गुम होने की सूचना तुरंत थाने पर देने के साथ ही जिला सहकारी बैंक को भी इस बारे में सूचित कर दिया। ये दोनों चेक मनीष उपाध्याय नामक एक व्यक्ति को मिल गए। मनीष दोनों चेक लेकर कैश कराने बैंक पहुंच गया। वहां उसे पता चला कि चेक पर स्टॉप पेमेंट लगा हुआ है। इसके बावजूद मनीष ने अपने अकाउंट में दोनों चेक लगा दीं। जहां बैंक वालों ने चेक में 'इनसफीशिएंट फंड' लिखकर चेक वापस कर दी। इसके बाद मनीष ने डॉ. राजेश के खिलाफ कोर्ट में चेक बाउंस होने का मुकदमा दर्ज करा दिया। अदालत ने अपने आदेश में माना की बैंक की गलती की वजह से डॉक्टर राजेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। नौ साल बाद अदालत ने उन्हें निर्दोष पाते हुए मुकदमा तो खारिज कर दिया लेकिन अब इन नौ सालों का हिसाब कौन देगा?❑

हत्यारों को सात साल की कैद

लखनऊ। दहेज में मोटरसाइकिल व रुपयों की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्यारोपी पति इमरान व सास नसीम जहां को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गयी है। अपर सत्र न्यायाधीश जी. पी. तिवारी ने दोषियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनायी है।

कोर्ट में सरकारी वकील मुकेश द्विवेदी का तर्क था कि हुमैरा परवीन ने ३१ मई २०१० को सआदतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया कि उसकी पुत्री मारिया उर्फ निशा की शादी २५ मार्च २०१० को अकबरी गेट निवासी इमरान के साथ हुई थी। बताया गया कि इमरान व सास नसीम शादी के बाद से ही मोटरसाइकिल व रुपयों के लिए उसकी पुत्री को प्रताड़ित किया करते थे। आरोप है कि ३० मई की रात आरोपी उसकी पुत्री को अधमरी अवस्था में उसके दरवाजे के बाहर फेंक कर भाग गए। वादिनी पुत्री को सिविल अस्पताल लेकर गई जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था।

प्लॉट आवंटन में मुलायम को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने सात साल से लंबित जनहित याचिका को किया खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को बड़ी राहत प्रदान की है। सात वर्षों से उनके खिलाफ लंबित उस जनहित याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है जिसमें उन पर रिश्तेदारों और सपा नेताओं को लखनऊ में भूमि आवंटित करने का कथित आरोप लगाया गया था।

२००५ में सुप्रीम कोर्ट में एलडीए प्लॉट आवंटनों में अनियमितता के आरोपों को पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा उनके भाई व लोकनिर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव, राजस्व मंत्री अंबिका चौधरी, मुख्यमंत्री सचिव अनीता सिंह व आईपीएस नवनीत सिकेरा ने सिरे से नकार दिया था।

उच्चतम अदालत ने मामले को राजनीति से प्रेरित करार दिया

जस्टिस आफताब आलम की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की ओर से पेश हुए एडीशनल एडवोकेट जनरल गौरव भाटिया ने कहा कि याचिकाकर्ता भी विवेकाधीन कोटे के तहत आवंटन का लाभार्थी है। ऐसे में यह याचिका पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है।❑

काउन्टर-रिज्वाइन्डर

❍ प्रचेता

बंटी- तू क्यों कोयले की दलाली के हीरे की तरह चमक रही है?

बबली- इसलिए कि तू स्पेक्ट्रम घोटाले के सोने की तरह दमक रहा है।

बंटी- मेरी तो तू बात ही छोड़, मेरी तो पिछली परफारमेंस के आधार पर दुबारा खजाना मेरे हाथ लौटाया गया है अब मैंने दुबारा कमाल न दिखाया तो मेरी शाख पर बट्टा लग जायेगा।

बबली- वैसे भी कोयले ने तुझसे बड़े हाथ मारकर तुझे दूसरे नम्बर पर कर दिया है।

बंटी- ये सब छोड़ तेरी दीदी ने अभी एक नया (जो कि बहुत पुराना है) रहस्योंद्घाटन किया है?

बबली- कौन सी वाली दीदी ने कौन सा रहस्योद्घाटन कुछ खुलकर बता इसमें चाशनी क्यों लपेट रहा है?

बंटी- अरे ममता दीदी कलकत्ते वाली।

बबली- समझ गयी, क्या कर दिया?

बंटी- उन्होंने कहा है कि फैसले खरीदे जाते हैं। न्यायपालिका भ्रष्ट है।

बबली- ये तो कोई न्यूज नहीं हुई।

बंटी- तो न्यूज क्या होती है?

बबली- तूने तो पत्रकारिता का कोर्स किया है तुझे नहीं पढ़ाया गया क्या न्यूज है क्या नहीं है, कैसे न्यूज ब्रेक की जाती है फिर कैसे न्यूज बनायी जाती है।

बंटी- हमे तो पढ़ाया गया था न्यूज मतलब हर तरफ नार्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, से इन्फारमेशन इकट्ठा करना उदाहरण के तौर पर बताया गया था कुत्ते ने आदमी को काटा ये न्यूज नहीं है लेकिन आदमी ने कुत्ते को काटा ये न्यूज है।

बबली- बस अब तू समझ जायेगा कि दीदी ने जो कहा वह न्यूज नहीं है।

देख... फैसले खरीदे जा सकते हैं आजकल ये खबर नहीं है फैसले नहीं खरीदे जा सकते ये खबर है। फिर भ्रष्टाचार कदाचार अब खबर नहीं है कोई न इसे देखना चाहता है न सुनना सिर्फ करना चाहता है।

बंटी- और जो वहां लोकतंत्र के नाम पर लोक सभा, राज्य सभा में होता है सरकार बचाने गिराने के लिए वह?

बबली- क्या होता है?

बंटी- है। वोटों की खरीद फरोख्त वह, वह क्या है जब वोट खरीदे जाते हैं तो काहे चुप रहती क्या इसलिए कि उसी की बदौलत ऐश करती हैं।

बबली- अब तू चुप हो जा आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं वैसे भी उन्होंने तेरे लिए कुछ नहीं कहा है तू इतना क्यों भड़क रही है।

बंटी- मेरे लिए क्या कहेगी मुझे कह के तो देखें उनकी बखिया उधेड़ दूंगा।

बबली- क्यों तू खबर लिखने और न लिखने और तेरा सम्पादक खबर छापने और न छापने के लिए जो मोटी रकम लेता है उसका क्या? झूठी खबरों को तिल का ताड़ बना देता है, दो दिन पुरानी न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बनाता है उसका क्या?

बंटी- अब तू क्यों काली कलकत्तेवाली बन रही है चुप हो जा कोई सुनेगा तो क्या कहेगा?

बबली- इससे सुनने जैसी कोई बात नहीं है ये सब जानते हैं? इतना ही नहीं सब सबके बारे में सब जानते हैं।❑

रिश्वतखोर बैंक मैनेजर को पांच साल की कैद

लखनऊ। विशेष न्यायाधीश सीबीआई सुरेंद्र विक्रम सिंह ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के नाम पर दस हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोपी व इलाहाबाद बैंक की लखीमपुर नकहा शाखा के प्रबंधक चंद्रपाल सिंह को पांच वर्ष के कठोर कारावास सहित २५ हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि लखीमपुर निवासी सियाराम ने १४ अक्टूबर २००३ को सीबीआई के पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी कि उसके पिता रामेश्वर दयाल वर्मा के पास इलाहाबाद की नकहा लखीमपुर शाखा का किसान क्रेडिट कार्ड था।

इसकी लिमिट ५० हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद शाखा प्रबंधक १० हजार रुपये घूस मांग रहा है।❑

37 साल से चल रहा मुकदमा रद्द करने से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने १९७५ में तत्कालीन रेल मंत्री एलएन मिश्रा की हत्या के मामले में मुकदमा रद्द करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सिर्फ इस आधार पर अदालती कार्यवाही बंद नहीं की जा सकती कि पिछले ३७ साल में इस मामले में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है।

जस्टिस एचएल दत्तू और जस्टिस सीके प्रसाद की पीठ ने आरोपी अधिवक्ता रंजन द्विवेदी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें निचली अदालत में चल रहे मुकदमे को खारिज करने की अपील की गई थी, क्योंकि ३७ साल में भी इस मामले में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है।❑

ममता के खिलाफ अवमानना याचिका

नई दिल्ली। न्यायपालिका के फैसलों पर टिप्पणी करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अवमानना की कार्यवाही करने की मांग की गई है। सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका ममता की उस कथित टिप्पणी के खिलाफ दायर की गई है जिसमें उन्होंने राज्य विधानसभा में कहा था कि कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं, जहां अदालत के फैसलों के लिए धन दिया गया है।❑